



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना कोतवाली देहात

दिनांक 06.09.2025

थाना कोतवाली देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 236/2024 धारा 87/115(2)/352/61(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.10.2024 को वादिनी ने थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. सुनील पुत्र चंद्रप्रकाश 2. अर्जुन पुत्र चंद्रप्रकाश, 3. अरविंद पुत्र चंद्रप्रकाश नि0गण ग्राम मसूरी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी के साथ गाली गलौच व मारपीट करते हुए वादिनी की लडकी को ले गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 236/2024 धारा 87/115(2)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग उपरोक्त में धारा 61(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।



कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 06.09.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अर्जुन पुत्र चंद्रप्रकाश निवासी ग्राम मसूरी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. अर्जुन पुत्र चंद्रप्रकाश निवासी ग्राम मसूरी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 चन्द्रप्रकाश गंगवार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
2. हो0गा0 सचिन कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— जनपद बिजनौर

दिनांक 06.09.2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास व ₹40,000 /— के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

कार्यवाही: —

दिनांक 07.08.2022 को राम नारायण पुत्र मनोहर लाल निवासी स्वामी नगर थाना शिखोहाबाद जनपद फिरोजाबाद को अज्ञात अभियुक्त द्वारा गोली मारकर घायल कर देने तथा गाड़ी लूटकर भाग जाने के संबंध में थाना नगीना पर मु0अ0सं0 250/22 धारा 394 भादवि (वृद्धि धारा 302 भादवि) पंजीकृत किया था। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्त शुभदीप पुत्र सुमित्र सिंह निवासी ग्राम रामपुर हीना थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर का नाम प्रकाश में आया तथा अभियुक्त शुभदीप को अवैध तमंचे सहित गिरफ्तार किया गया था। जिस संबंध में मु0अ0सं0 251/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में विवेचना उपरांत आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

उपरोक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 06.09.2025 को मा0 न्यायालय ए0डी0जे0-3/एनडीपीएस एक्ट, जनपद बिजनौर द्वारा उपरोक्त अभियोगों की धारा 302/394 भादवि व 3/25 के आरोपी अभियुक्त शुभदीप पुत्र सुमित्र सिंह निवासी ग्राम रामपुर हीना थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर को आजीवन कारावास व कुल 40,000 /— रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:—

1. शुभदीप पुत्र सुमित्र सिंह निवासी ग्राम रामपुर हीना थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना शेरकोट

दिनांक 06.09.2025

**थाना शेरकोट पुलिस ने मु0अ0सं0 147/2025 धारा 305(A)/317(2) बीएनएस में
वांछित अभियुक्त को चोरी किये 3,000/-रु0 सहित किया गिरफ्तार।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.09.2025 को वादी सैफु रहमान पुत्र नबील अहमद निवासी मौ0 काजीसराय कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ने थाना शेरकोट पर तहरीर दी कि अभियुक्त सुऐब पुत्र नौशाद निवासी मौ0 हाकिमान कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ने मेरे क्लीनिक के गल्ले से रुपये चोरी कर लिये है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 147/2025 धारा 305(A)/317(2) बीएनएस बनाम सुऐब पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 06.09.2025 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सुऐब पुत्र नौशाद निवासी मौ0 हकीमान कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को चोरी किये 3,000/- रु0 सहित गिरफ्तार किया गया तथा बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. सुऐब पुत्र नौशाद निवासी मौहल्ला हकीमान कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 400 प्रदीप कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट - थाना नहतौर

दिनांक 06.09.2025

थाना नहतौर पुलिस ने मु0अ0सं0 229/25 धारा 305 बीएनएस में प्रकाश में आये 02 अभियुक्तगण को चोरी किये माल सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.08.2025 को वादिनी श्रीमती सन्तोष देवी पत्नी शिवचरण सिंह नि0 ग्राम रजानगर थाना नहतौर जनपद बिजनौर ने थाना नहतौर पर अज्ञात अभियुक्त के द्वारा घर की छत में लगे 03 छत के पंखे व एक होम थियेटर चोरी करने के सम्बन्ध में तहरीर दी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 229/2025 धारा 305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में अभि0गण 1.सौरभ पुत्र हेमराज नि0 ग्राम सुहागपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 2.गजेन्द्र सिंह पुत्र मौहर सिंह नि0 ग्राम सुहागपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये ।



कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 06.09.2025 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभि0गण 1.सौरभ पुत्र हेमराज नि0 ग्राम सुहागपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 2. गजेन्द्र सिंह पुत्र मौहर सिंह नि0 ग्राम सुहागपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को चोरी किये गये 03 छत के पंखे ,09 पंखुड़ी व 15 मीटर एल्युमिनियम के तार सहित किया गिरफ्तार । मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। तथा अभियुक्त गणों से गिरफ्तारी के समय बरामद 15 मीटर एल्युमिनियम केबल के बारे में पूछताछ की गयी तो अभियुक्त गणों के द्वारा बताया कराया गया कि दिनांक 15.07.25 को ग्राम फरीदाबाद उर्फ फरीदपुर में एक खेत के नलकूप से हम लोगो ने चोरी किया था जिस सम्बन्ध में थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 243/25 धारा 303(2) पंजीकृत है जिसमें बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी ।अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

- 1.सौरभ पुत्र हेमराज निवासी ग्राम सुहागपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 2.गजेन्द्र सिंह पुत्र मौहर सिंह निवासी ग्राम सुहागपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।

बरामदगी-

1. 03 छत के पंखे मय 09 पंखुड़ी ।
2. 15 मीटर एल्युमिनियम का केबल ।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त सौरभ-

1. मु0अ0सं0-243/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
02. मु0अ0सं0-229/2025 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।

03. मु0अ0स0-04/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
04. मु0अ0स0-215/2024 धारा 317(2) बीएनएस थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
05. मु0अ0स0-189/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
06. मु0अ0स0-556/2023 धारा 379/411 भादवि0 थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त गजेन्द्र सिंह-

01. मु0अ0स0-243/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
02. मु0अ0स0-229/2025 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

01. उ0नि0 सोनू निगम थाना नहतौर जनपद बिजनौर
02. का0 1276 राहुल यादव थाना नहतौर जनपद बिजनौर
03. का0 1345 विक्रान्त राणा थाना नहतौर जनपद बिजनौर